

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज)

कार्यना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
27/18	51-43 212 RTI	आंचोली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मोहम्मद हुली रं	बनाम	हीरामाता शीरा	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

11/8

वकील श्री. प्रदीप कुमार एक प्रश्न: 51 अंतर्गत धारा 212 RTI विरुद्ध: आंचोली ग्राम के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सविज्ञान रूप से तैयार किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर नंबर 27/6/18 का पेश हो। तलब कर प्रकरण दिनांक 27/6/18 को पेश हो।

27/8

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/7/18 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

25/8

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

25/3/19

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. आंचोली राजमार्ग से नोट पकड़ें है। आये दिन वास्तु तलब को पत्रावली दिनांक 15/4/19 को पुनः पेश हो।

16/4/19

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.5.19 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

21/6/19

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/6/19 को पेश हो।

रीडर



आज पीतारीन अधिकारी को अन्य कार्य में मुकाबल करने
का कारण पत्रावली वर्तमान स्थिति में
दिनांक 29.7.24 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय सप्लाइ अधिकारी
छवड़ा (बारा)

9.7.24

अभिभाषक जर्नी कर जर्नी पत्र 023 R। एव धारा 151
CPL पेश कर जर्नी को डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट किया
है जर्नी का जर्नी पत्र स्वीकार किया जाकर करी
जा कर मुलाकात डिस्ट्रिक्ट किया जा पुका से इत जर्नी
के डिस्ट्रिक्ट जर्नी को कोर्ट कार्यालय किया जाकर जर्नी
की है जर्नी का जर्नी पत्र डिस्ट्रिक्ट किया जाकर
के पत्रावली केवल जर्नी केवल कर जर्नी जर्नी
के डिस्ट्रिक्ट जर्नी है

[Signature]